मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 79/2019 वादपत्र धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट. 1955

1. श्री रामप्रसाद पिता गोपाल जी जाति जणवा उम्र 12 वर्ष नाबालिग जरिये माता लक्ष्मी पत्नि गोपाल जणवा उम्र 35 साल निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
2. श्री राधा पिता गोपाल जी जाति जणवा उम्र नाबालिग जरिये माता लक्ष्मी पत्नि गोपाल जणवा उम्र 35 साल निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी

:- वादीगण

बनाम

1. श्री गोपाल पिता गोकल जी जाति जणवा उम्र वयस्क निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
2. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार बड़ीसादड़ी

:- प्रतिवादीगण

प्रकरण सख्यॉ 79/**2019** वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 रा.का.अधि. वादी की और से अधिवक्ता श्री राजेश व्यास ,प्रतिवादी की और से राजीनामा मे यह वाद आज दिंनाक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मोजा बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी मे खतोनी सख्यॉ नयी 65 स्थित है जिसमे आ.न. 316 रकबा 0.95 हैक्टयर , आ.न.319 रकबा 0.01 हैक्टयर , आ.न.320 रकबा 1.36 हैक्टयर ,आ.न.391 रकबा 1.08 हैक्टयर, आ.न.816 रकबा 0.41 हैक्टयर , आ.न.817 रकबा 1.35 हैक्टयर व आ.न.1644 रकबा1.37 हैक्टयर कुल किता :- 7 रकबा :- 6.53 हैक्टयर मे वादी रामप्रसाद का 1/3 वादी राधा 1/3 व प्रतिवादी गोपाल का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है । रहन बदस्तुर रहेगा।

इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे......X... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित.......X को दी जावे।

यह आज दिनांक 27-01-2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2022/253 दिनांक : 27.01.2022

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.02.10 13:40:19 IST
Reason: SelfAttested

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 79/22019 वादपत्र धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट. 1955

1. श्री रामप्रसाद पिता गोपाल जी जाति जणवा उम्र 12 वर्ष नाबालिग जरिये माता लक्ष्मी पत्नि गोपाल जणवा उम्र 35 साल निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी

2. श्री राधा पिता गोपाल जी जाति जणवा उम्र नाबालिग जरिये माता लक्ष्मी पत्नि गोपाल जणवा उम्र 35 साल निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी

:- वादीगण

बनाम

1. श्री गोपाल पिता गोकल जी जाति जणवा उम्र वयस्क निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
2. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार बड़ीसादड़ी

:- प्रतिवादीगण

// निर्णय//

यह की सक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है की वादी रामप्रसाद व राधा पिता गोपाल जी जाति जणवा उम्र नाबालिग जरिये माता लक्ष्मी पत्नि गोपाल जणवा निवासी बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी ने एक वादपत्र धारा 88 ,209 रा.का.अधि.का इस आशय का प्रस्तुत किया की मोजा बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी मे खतोनी सख्यॉ नयी 65 स्थित है जिसमे खतोनी सख्यॉ नयी 65 स्थित है जिसमे आ.न.316 रकबा 0.95 हैक्टयर , आ.न.319 रकबा 0.01 हैक्टयर , आ.न.320 रकबा 1.36 हैक्टयर , आ.न.391 रकबा 1.08 हैक्टयर, आ.न.816 रकबा 0.41 हैक्टयर , आ.न.817 रकबा 1.35 हैक्टयर व आ.न.1644 रकबा1.37 हैक्टयर कुल किता :- 7 रकबा :- 6.53 हैक्टयर

स्थित हो कर वर्तमान मे प्रतिवादी न. 1 गोपाल के नाम राजस्व रिकार्ड मे स्थित है तथा वादी का पारिवारीक सजरा निम्नानुसार है

गोकल

|

गोपाल

|

|----------|----------|--------|

रामप्रसाद पुत्र राधा पुत्री लक्ष्मी पत्नि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.02.10 13:40:19 IST
Reason: SelfAttested

यह की गोकल जी मुल कर्ता खानदान हो कर फोत[illegible] है तथा प्रतिवादी न. 1 गोपाल उनका पुत्र है तथा गोपाल के 1 पुत्र वादी रामप्रसाद व एक पुत्री [illegible] है तथा उक्त आराजीयात वादीगण की पैत्रक पुश्तेनी आराजी हो कर उक्त [illegible] न. 2 का कमशः 1/3 -1/3 हिस्सा प्रतिवादी न. 1 गोपाल का 1/3 हिस्सा हो कर पैत्रक पुश्तेनी आराजी होने से उक्त आराजी मे वादीगण का भी हक हिस्सा हो कर वादीगण वर्तमान मे नाबालिग हो कर प्रतिवादी गोपाल का अपनी पत्नि से विवाद हो गया तथा पंचो के समझाने पर प्रतिवादी ने कहा कि वादीगण को वो 1/3 -1/3 आराजी देने को तैयार है इस कारण जरिये माता लक्ष्मी के यह वाद प्रस्तुत है तथा वादीगण ने अपने हितार्थ जरिये अपनी माता के अपने 1/3-1/3 हिस्से को पाती काश्त पर दे कर काश्त कर रहा है तथा उक्त हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी ने अपने- अपने हिस्से का बटवारा

सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी

कर अपने अपने भाग पर वादी व प्रतिवादी काबिज काश्त है तथा अपने अपने हिस्से कि देख रेख वादी व प्रतिवादी ही कर रहे है तथ भविष्य मे कोई विवाद न हो इस कारण वादीगण अपना नाम पुश्तेनी आराजी मे लगाना चाहते है जिससे कि लोन लेने व भुमि को उपजाउ करने व अन्य कार्य मे सुविधा हो सके तथा राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण का नाम नही होने से वादीगण अपने 1/3 –1/3 हिस्से की घोषणा अपने नाम कराने का अधिकारी है तथा वाद वादी डिक्री किया जाने का अनुरोध किया।

बाद जांच प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को समन से तलब किया गया तथा प्रतिवादी न्यायालय मे उपस्थिती दर्ज कराई व राजीनामा होना भी जाहीर किया तथा राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे तश्दिक किया गया तथा इस प्रक्रम पर वादी द्वारा राधा को वादी के रूप मे संयोजन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्विकार किया गया तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण मे जरिये तहसीलदार पटवार हल्का से सजरा रिपोर्ट तलब कि गई तथा उक्त रिपोर्ट से वाद पत्र की सत्यता का पता चलता है तथा तथा वाद पत्र मे प्रतिवादी कि पत्नि लक्ष्मी ने अपना शपथपत्र भी प्रस्तुत किया व अपने को पति के जीवनकाल मे केवल भरणपोषण की अधिकारी माना व वाद पत्र डिक्री किये जाने मे अपनी सहमति जताई तथा प्रकरण मे राजीनामा हो जाने से तनकीयात कायम नही कि जा कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेज तथा लोक अदालत कि भावना से राजीनामा होने से अधिवक्ता वादी ने वादपत्र के तथ्यो को दौहराते हुए तथा दस्तावेजो की और पटवार हल्का कि रिपोर्ट कि और ध्यान दिलाया व वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

न्यायालय के द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया जा कर दस्तावेज व पटवार हल्का रिपोर्ट व राजीनामा पर मनन किया गया तथा वाद वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा आदेश दिया जाता है कि वाद पत्र मे वर्णित आराजी मोजा बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी मे खतोनी सख्याँ नयी 65 स्थित है जिसमे आ.न.316 रकबा 0.95 हैक्टयर , आ.न.319 रकबा 0.01 हैक्टयर , आ.न.320 रकबा 1.36 हैक्टयर , आ.न.391 रकबा 1.08 हैक्टयर, आ.न.816 रकबा 0.41 हैक्टयर , आ.न.817 रकबा 1.35 हैक्टयर व आ.न.1644 रकबा1.37 हैक्टयर कुल किता :- 7 रकबा :- 6.53 हैक्टयर मे वादी रामप्रसाद का 1/3 वादी राधा 1/3 व प्रतिवादी गोपाल का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है । रहन बदस्तुर रहेगा।
पर्चा डिक्री अलग से जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर

(बिन्दु बाला रजावत)RAS
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.02.10 13:40:19 IST
Reason: SelfAttested